## ORDER SHEET

## THE COURT सिराज अली न्या0मजि0प्रथम श्रेणी बैहर आपराधिक प्रकरण क्मांक-1238/14 शासन विरुद्ध रऊफ खान +3

	700	
Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
or proceeding 5 18 / 12 / 14	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के प्रभावशील कार्य विभाजन के आदेशनुसार आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अपराध कमांक 173/14, धारा—294, 323, 506 बी 34 भादंवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में थाना प्रभारी की ओर से पोतन चौधरी कमांक—	pleaders where
	को भेजा जावे।	

of r nere

की धारा-294, 323, 506 भाग दो 34 शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी रऊफ खान, अय्युब खान, मोहसीन उर्फ इमरान खान, गुलबसा को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो 34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो चाकू सब्जी काटने के है जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब अभिलेखागार भेजा जावे।

> (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट